दिनांक : 16 दिसम्बर, 2013

अपने पद की गरिमा बनाये रखने हेतु न्यायमूर्ति गांगुली को इस्तीफा देना चाहिए

अरूण जेटली
नेता विपक्ष, लोकसभा

आज इण्डियन एक्सप्रेस ने उस कथित घटना का विस्तार से विवरण छापा है, जिसमें एक युवा इर्न्टन और उच्चतम न्यायालय के पूर्व जज अर्थात् न्यायमूर्ति अशोक कुमार गांगुली शामिल है। यदि यह एक मनघण्ड़ंत या मिथ्या आरोप होता, तो न्यायमूर्ति अशोक कुमार गांगुली द्वारा यह कहना सम्भव होता कि कानून अपना काम करेगा और वह केवल दोषी पाये जाने के बाद ही इस्तीफा देंगे। तथपि, मामला कुछ अलग है।

भारत के मुख्य न्यायधीश ने मामले की जांच करने हेतु तीन जजों की जांच बिठाई थी। इन्टर्न और न्यायमूर्ति गांगुली दोनों ने उच्चतम न्यायालय की तीन वर्तमान जजों के समक्ष अपनी–अपनी बात कही। मीडिया रिपोर्टो से पता चलता है कि तीनों जजों ने प्रथम दृष्टतः इन्टर्न की शिकायत, सच्चाई देखी। अतः यह मात्र मनघडण्त या मिथ्या आरोप नहीं है। तीन जजों की रिपोर्ट के आधार पर यह मानने के पीछे कारण है कि अपराध हुआ है।

चूंकि इसमें उच्च्तम न्यायालय के एक पूर्व जज शामिल हैं, जो वर्तमान पश्चिम बंगाल मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है– उच्च पद पर आसीन न्यायमूर्ति गांगुली जैसा एक व्यक्ति, सीजर्स वाईफ की तरह शक अस्वीकार्य अपराध किये जाने पर उन पर सन्देह किया जा रहा है। न्यायमूर्ति गांगुली द्वारा पद पर बने रहने से कुछ प्रश्न पैदा होते हैं। पहला, यदि यह मामला एक पूर्व जज की बजाय किसी सुप्रसिद्ध राजनेता का होता, तो क्या न्यायिक संस्थानों ने पूरी तरह से इससे पल्ला झाड़ दिया होता अथवा क्या उन्होंने जांच पर निगरानी रखी होती ? यह तथ्य कि इसमें उच्चतम न्यायालय का एक पूर्व जज शामिल है, अतः यह आवश्यक है कि न्यायिक जांच के मानदण्ड सामान्य मानदण्डों की तुलना में ऊॅचें होंगे। दूसरा, इस गम्भीर आरोप के चलते, क्या न्यायमूर्ति गांगुली पश्चिम बंगाल मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन कर भी सकेंगे ? तीसरा, क्या सही और उचित नहीं होगा कि पूर्व जज एक उच्च अधिकारी के बजाए एक आम नागरिक के तौर पर इस आरोप का प्रतिवाद करे ? यदि अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, तो वह अपने पद की गरिमा की रक्षा ही करेंगे। उनके द्वारा अपने पद पर चिपके रहने से यह सिद्ध होता है कि जज लोग भी अधिकांश राजनीतिक पदों पर आसीन लोगों की तरह तब तक अपने पद से चिपके रहेंगे, जबकि प्रबल जनमत उन्हें पद छोडने के लिये मजबूर न कर दें।